

02/6/23

आज यह पर्यवेक्षण तहसीलदार राजसिंहनगर  
के प्रार्थना-पर्यवेक्षण द्वारा 12A की धारा 177  
की कार्यवाही निरस्त कर वाड खारिज करने  
के क्रम में 18/09/2023 के डिनो. 31/5/2023 प्रस्ताव  
द्वारा पर प्रशासन गाँवों के संग अभियान  
2023 के क्रम में पं. 22/10 'B' में पैरा 1  
राजस्थान राज्य की अधिनियम तहसीलदार  
राजसिंहनगर द्वारा 12A के तहत पर्यवेक्षण  
प्रस्ताव किया गया था जिसे खारिज करने हेतु  
आ पर पैरा 1 के अंतर्गत वाड पर इसी  
स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्यवेक्षण  
द्वारा में सुझाव देकर हाजिर हफ्ता के

Reetu  
उपखण्ड अधिकारी  
राजसिंहनगर

